

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2021/982-988

दिनांक : 05.03.2021

निदेशक
निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

विषय:- जब्तशुदा खनिज बजरी नीलामी की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी बाबत निविदाएं आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति की 8 (आठ) प्रतियाँ मय सॉफ्टकॉपी, एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु संलग्न कर प्रेषित है। इसका यू.बी.एन. नं. MIN 2021 GL0800045 है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय
(अनिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता, जयपुर
दिनांक : 05/03/2021

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी/2021/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2021/ 989

दिनांक :- 05.03.2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जप्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा 29452.40 टन आरक्षित दर 700/-रु. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स जयपुर द्वारा अनुमोदित) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/- रु. का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता, जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 16 मार्च 2021 (दोपहर 1.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों में पड़ी जप्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 29452.40 टन की प्रत्येक पुलिस थाना/चौकी के लिए अलग-अलग बोली दरें मय बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में दिनांक 16 मार्च 2021 (सांयकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 17 मार्च 2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


(अनिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम एल. खनिज भवन, विलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2021/ 990-1073

दिनांक :- 05.03.2021

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चेंकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी है उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसे दिनांक 16 मार्च 2021 को नीलाम किया जाना है:-

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	वथाना/ अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (₹.)
1	दौलतपुरा चौकी	46	3220	32200
2	सायपुरा चौकी	391	27370	273700
3	आमेर	24	1680	16800
4	सराय बावडी	30	2100	21000
5	चन्दवाजी चौकी	168	11760	117600
6	जालसू	46	3220	32200
7	जाटावाली	40	2800	28000
8	अचरौल चौकी	86	6020	60200
9	टाटियावास चौकी	196	13720	137200
10	कुण्डा चौकी	142	9940	99400
11	कालवाड	669	46830	468300
12	करधनी	882	50000	617400
13	हरमाडा	569	39830	398300
14	विद्याधर नगर	174	12180	121800
15	महेश नगर	222	15540	155400
16	मानसरोवर	404	28280	282800
17	शिप्रा पथ	325	22750	227500
18	मालवीयनगर	118	8260	82600
19	जवाहर संकिल	46	3220	32200
20	श्याम नगर	32	2240	22400
21	करनी विहार	350	24500	245000
22	ब्रह्मपुरी	86	6020	60200
23	बजाज नगर	129	9030	90300
24	मुरलीपुरा	322	22540	225400
25	विश्वकर्मा	328	22960	229600
26	बिंदायका चौकी	197	13790	137900
27	चित्रकूट	73	5110	51100
28	भट्टा बस्ती	10	700	7000
29	शास्त्री नगर	58	4060	40600
30	वैशाली नगर	16	1120	11200

31	ज्योति नगर	62	4340	43400
32	जवाहर नगर	46	3220	32200
33	ट्रांसपोर्ट नगर	243	17010	170100
34	आदर्श नगर	30	2100	21000
35	गांधी नगर	4	280	2800
36	रामगज	18	1260	12600
37	गलता गेट	315	22050	220500
38	कालाडरा	250	17500	175000
39	गोविन्दगढ	118	8260	82600
40	चौमू	311	21770	217700
41	सामोद	57	3990	39900
42	खेजडोली चौकी	24	1680	16800
43	मुहाना / मुहाना मण्डी	1364	50000	954800
44	सांगानेर	610	42700	427000
45	प्रतापनगर	572	40040	400400
46	सांगानेर सदर	1281	50000	896700
47	खो नागोरियान	173	12110	121100
48	सेज थाना	350	24500	245000
49	शिवदासपुरा	1058	50000	740600
50	बस्सी	199	13930	139300
51	आंधी	294	20580	205800
52	बगराना चौकी	156	10920	109200
53	कानोता	789	50000	552300
54	जमवारामगढ	87	6090	60900
55	रायसर चौकी	165	11550	115500
56	फागी	3277	50000	2293900
57	माधोराजपुरा चौकी	436	30520	305200
58	निमेडा	521	36470	364700
59	रेनवाल थाना किशनगढ	162	11340	113400
60	रेनवाल चौकी (फागी)	1257	50000	879900
61	चाकसू	489	34230	342300
62	कोटखावदा	191	13370	133700
63	फुलेरा	176	12320	123200
64	जोबनेर	614	42980	429800
65	नरेना	192	13440	134400
66	बधे के बालाजी	54	3780	37800
67	दुदू	1836	50000	1285200
68	सानर	221	15470	154700
69	बगरू	1911	50000	1337700
70	भाकरोटा	2403	50000	1682100
71	महला चौकी	730.4	50000	511280
72	गौजमावाद चौकी	81	5670	56700

73	जयसिंहपुरा खोर चौकी			
74	बनीपार्क	6	420	4200
75	झोटवाडा	9	630	6300
76	तुंगा	50	3500	35000
77	हटवाडा चौकी	61	4270	42700
78	मालपुरा चौकी	6	420	4200
	कुल योग	14	980	9800
		29452.4	1436480	20616680

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :- नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार / विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहाँ बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 16 मार्च 2021 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक थाना क्षेत्र/चौकी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि रु. 10/- प्रतिटन के गुणको में ही मान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 17 मार्च 2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जायेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित थाना क्षेत्र/चौकी की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।

3

10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही वजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. गुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संवारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पट्टी क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयुक्त स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनो की तोल पट्टियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

(अनिल गुप्ता)

खनि अभियन्ता जयपुर

दिनांक : 05.03.2021

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी/2021/ 990-1073

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना दोलतपुरा चौकी, शायपुरा चौकी, आमेर, सराय बावडी, चन्दवाजी चौकी, जालसू, जाटावाली, अचरोल चौकी, टाटियावास चौकी, कुण्डा चौकी,

- कालवाड, करधनी, हरमाडा, विधाघर नगर, महेश नगर, मासनरोवर, शिप्रापथ, मालवीय नगर, जवाहर सर्कील, श्याम नगर, करणी विहार, ब्रहमपुरी, बजाज नगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, बिन्दायका चौकी, चित्रकूट, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, सोडाला, वैशाली नगर, ज्योति नगर, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर, रामंगज, गलता गेट, कालाडेरा, गोविन्दगढ, चौमू, रेनवाल, सामोद, खेजडोली चौकी, मुहाना, मुहाना मण्डी, सांगानेर, प्रताप नगर, सांगानेर सदर, खोनागोरियान, सेज थाना, दांतली सिरोली चौकी, शिवदासपुरा, बस्सती, आंधी, बगराना चौकी, कानोता, जटवाडा, जमदारामगढ, रायसर चौकी, फागी, माधोराजपुरा चौकी, निमेडा, रेनवाल चौकी (फागी), चाकसू, कोटरखावदा, फुलेरा, जोबनेर, नरैना, बंधे के बालाजी, दूदू, सांभर, बगरू, भांकरोटा, महला चौकी, बिचून चौकी।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियंता, जयपुर